

# न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

राजस्थान सरकार जरिये  
पटवारी हल्का गोलाणा

बनाम

मुकदमा नंबर 1/2016

गैरसायल

श्री रघुनाथसिंह पुत्र कमलसिंह  
जाति राजपुत निवासी गोलाणा

निर्णय

दिनांक:-30.09.2016

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोलाणा व निरीक्षक भू.अ. जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा गोलाणा के खसरा नंबर 514 रकबा 0.12 हेक्टर किस्म गै.मु. गोचर में अनाधिकृतरूप से पक्का मकान कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये, जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृतरूप कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत संवत 2073 में मौजा गोलाणा के खसरा नंबर 514 रकबा 0.12 हेक्टर किस्म गै.मु. गोचर अतिक्रमी घोषित जाकर भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 0.36 का 50 गुणा रू० 18/- अक्षरे अटठारह रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा, पटवारी हल्का जसवंतपुरा को भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

  
तहसीलदार, जसवंतपुरा